सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 09/सो.आ.नि.–319/2014
दिनाँकः 04 अप्रैल, 2014

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
इलाहाबाद, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बिजनौर, बुलन्दशहर, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, गोण्डा, हमीरपुर, हापुड़, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, सम्भल, सन्तकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, वाराणसी।

विषयः **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.) राजेन्द्र नगर, हैदराबाद में दिनांक 16 जून से 20 जून, 2014 तक सोशल आडिट विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किए जाने हेतु नामांकन।**

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्रांकः 675/सो.आ.नि.–319/2014, दिनाँकः 28 मार्च, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपके जनपद के जिला विकास अधिकारी तथा जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन0आई0आर0डी0) राजेन्द्र नगर, हैदराबाद में दिनांक 16 जून से 20 जून, 2014 तक सोशल आडिट विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु नामित किया गया है।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण में जनपद के नामित जिला विकास अधिकारी या जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर ही स्वयं प्रतिभाग करेंगे न कि उनका कोई प्रतिस्थानी। **अतः सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि केवल जिला विकास अधिकारी/जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर ही प्रशिक्षण हेतु भेजे जाएं।** यदि अपरिहार्य कारणों से नामित जिला विकास अधिकारी/जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को प्रशिक्षण में भेजना संभव न हो तो कृपया तत्काल सूचित करें, ताकि किसी अन्य जनपद के जिला विकास अधिकारी/जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर, जो प्रशिक्षण हेतु अभी तक नामित नहीं हो सके हैं, को प्रशिक्षण में भेजा जा सके।

कृपया उपरोक्तानुसार अपने जनपद के जिला विकास अधिकारी के प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने की पुष्टि दिनांक 07.04.2014 तक ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

पत्रांकः–09/सो0आ0नि0–319/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
2– समस्त प्रतिभागियों को निर्देश का अनुपालन करने हेतु।

(शंकर सिंह)
निदेशक।

Arun DT